उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः 317 ओ0सं0/उनिलि/अनुग्रह धनराशि/2010 दिनांक : 03-12-2010

फैक्स (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2),
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना, उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि.,
अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/(कासिमपुर अलीगढ़)/पनकी (कानपुर ।

(2) मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2)
पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषयः-- वर्ष 2009–2010 हेतु शासन/पा0का0लि0 की अनुरूपता में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 ने लेखा वर्ष 2009–2010 के लिए अपने पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को शासन की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :–

1. नई वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 4800/– तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में अधिकतम रू0 13500/– से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति(स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।
2. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होनें दिनांक 31 मार्च, 2010 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
3. तदर्थ अनुग्रह राशि के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31मार्च, 2010 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आंगणित की जायेगी।

P-MD-1(rama)

4. दिनांक 31 मार्च, 2010 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रू0 3500/– से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 3500/– की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च, 2010 को 30 दिन की परिलब्धियाँ (3500X30/30.4 = 3453.95) अर्थात रू0 3454/– तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होंगी।

5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2009–2010 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें में दंड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि देय न होगी।

6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रहराशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात् अगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुर्नविचार नहीं किया जायेगा।

7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रहराशि की आंगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अथार्त 50 पैसे या उससे अधिक को 1 रू0 मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

8. कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होनें दिनांक 31 मार्च, 2010 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होनें दिनांक 31 मार्च, 2010 तक 1 वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नही की है, परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240, दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्मिलित कर्मचारी, के लिए मासिक परिलब्धियाँ रूपये 1200/– प्रतिमाह मानी जायेगीं और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रूपया 1200 X 30/30.4 = 1184.21 अथार्त रूपये 1184 पूर्णांकित होंगी परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रूपये 1200/– प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह राशि की वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंगणित की जायेंगीं ।

सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन.एस.सी.) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2010 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2011 तक

सेवानिवृत्त होने वाले हों उनको अनुमन्य अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद कि जायेगा।

1. वर्ष 2009–2010 हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पदन निगम लि० व कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार व निगम के आय–व्ययक 2010–2011 के नामे डाला जायेगा।
2. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत प (लेटर ऑफ एथोरिटि) निगर्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और निगम व उक्त आदेश के आधार पर ही 2009–2010 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगता ग्राह्य होगा।
3. कृपया उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करना सुनिशित करें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,

संख्याः 317 औ0सं0/उनिलि/अनुग्रह धनराशि/2010 तद्दिनांक :

(1) मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निजि सचिव।
(2) प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर,।
(4) निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, के निजी सचिव लखनऊ ।
(5) मुख्य अभियन्ता(मा0सं0)/(वाणिज्य)/जानपद/(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/ईंधन (आर0 एण्ड एम0) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ ।
(6) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ स्थित ।
(7) उप महाप्रबन्धक(मा0सं0–02)/चिकित्सा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
(8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ।
(9) मुख्य प्रबन्धक, (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ
(10) समस्त उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ ।
(11) लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ ।
(12) कट फाइल।

PM-3, Pragati Pl. upload 4/12/10

Dr Poonam, AE Pl. upload 7/12

(वीर विनोद छाबड़ा)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

P-MD-3(rama)